अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 875(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) , स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी-I, श्रेणी-II और साधारण श्रेणी) भर्ती नियम, 2001 को अधिक्रांत करते हुए, जहाँ तक उसका सम्बन्ध स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी –I) और स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी-II) के पदों से हैं, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) में स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी-I और श्रेणी-II) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I) और स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी-II) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मेट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)	9* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-5	अचयन	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यकितियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अहर्ताए।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिण अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती पद्धती: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनके प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 10% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) 90% प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है या साधारण श्रेणी में कुल मिलाकर श्रेणी-II में पन्द्रह वर्ष की सम्मलित सेवा की है और जिन्होंने व्यवसाय परीक्षा स्कीम उत्तीर्ण की है। **टिप्पण:-** ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर जो नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में सेवा कर रहे हैं और जिन्होंने इन नियमों के प्रारंभ

				की तारीख को पंद्रह वर्ष नियमित सेवा की है और वे व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण रहते हुए और विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए हों, श्रेणी-I पर नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए पात्र होंगे । **प्रतिनियुक्ति:** जिन्होंने मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है । या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल / राज्य सरकार पुलिस / संघ राज्य क्षेत्र पुलिस के ऐसे हेड कांस्टेबल जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में पांच वर्ष तक नियमित सेवा की है और निम्नलिखित यथा-उल्लिखित अनुभव / अर्हता के साथ पन्द्रह वर्ष नियमित सेवा की है :- (i) जिसके पास मोटर यान चलाने में कम से कम दस वर्ष के अनुभव के साथ भारी / हल्के मोटर यान चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो । (ii) अंग्रेजी के अंकों और आकृतियों को पढ़ने में समर्थ हों । (iii) यातायात के विनियमों की अच्छी जानकारी रखता हो। (iv) पेट्रोल और डीजल इंजन के कार्यकरण की अच्छी जानकारी हो और त्रुटियों का का पता लगाने और छोटी-मोटी खराबियों को सुधारने में समर्थ हों । (v) कार्बुरेटर और प्लग आदि की सफाई करने में समर्थ हो । **टिप्पण :-** प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे :- (i) उप महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो – अध्यक्ष (ii) अवर सचिव, नागर विमानन मंत्रालय – सदस्य (iii) उप निदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या समतुल्य – सदस्य (iv) उप निदेशक(प्रशासन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो – सदस्य	लागू नहीं होता।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)	9* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-4	अचयन	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अहर्ताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं व्यक्तियों की दशा में लागु होगीं या नही।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती पद्धतीः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनके प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 10% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) 90% प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:-** ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर, (साधारण श्रेणी) जिन्होंने 9 वर्ष तक नियमित सेवा की है और जिन्होंने व्यवसाय परीक्षा स्कीम उत्तीर्ण की है। **टिप्पण:-** ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर जो नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में सेवा कर रहे हैं और जिन्होंने इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को पंद्रह वर्ष नियमित सेवा की है और वे व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण रहते हुए और विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए हों, श्रेणी-I पर नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए पात्र होंगे।

				प्रतिनियुक्ति: जिन्होंने मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है। या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल / राज्य सरकार पुलिस / संघ राज्य क्षेत्र पुलिस के ऐसे हेड कांस्टेबल जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में पांच वर्ष तक नियमित सेवा की है और निम्नलिखित यथा-उल्लिखित अनुभव / अर्हता के साथ पन्द्रह वर्ष नियमित सेवा की है :- (i) जिसके पास मोटर यान चलाने में कम से कम दस वर्ष के अनुभव के साथ भारी / हल्के मोटर यान चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो। (ii) अंग्रेजी के अंकों और आकृतियों को पढ़ने में समर्थ हों। (iii) यातायात के विनियमों की अच्छी जानकारी रखता हो। (iv) पेट्रोल और डीजल इंजन के कार्यकरण की अच्छी जानकारी हो और त्रुटियों का का पता लगाने और छोटी-मोटी खराबियों को सुधारने में समर्थ हों। (v) कार्बुरेटर और प्लग आदि की सफाई करने में समर्थ हो। **टिप्पण :-** प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना है ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे :- (i) उप महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो – अध्यक्ष (ii) अवर सचिव, नागर विमानन मंत्रालय – सदस्य (iii) उप निदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या समतुल्य – सदस्य (iv) उप निदेशक(प्रशासन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो – सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए.वी.-13029/001/2009-ए.एस.]

उषा पाढी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2017

G.S.R. 875(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Civil Aviation Security, (Ministry of Civil Aviation) Staff Car Drivers (Special Grade, Grade I, Grade II and Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2001, insofar as they relate to the posts of Staff Car Driver (Grade I) and Staff Car Driver (Grade II), the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Grade I and Grade II) in the Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), namely:-

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), Staff Car Driver (Grade I) and Staff Car Driver (Grade II), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.**– The number of said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**– The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,-

a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Ex-Serviceman, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post(s)	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) Staff Car Driver (Grade-I)	9* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 in the pay matrix.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	(i) 10% by promotion, failing which by deputation. (ii) 90% by deputation.	**Promotion:** Staff Car Driver Grade-II in level 4 in the pay matrix having 6 years regular service or a combined service of fifteen years in Grade-II and in Ordinary Grade put together and having passed the Trade Test Scheme. **Note:** Staff Car Drivers serving in the Bureau of Civil Aviation Security and having fifteen years regular service on the date of commencement of these rules shall be	Group 'C' Department promotion Committee (for considering promotion):- (i) Deputy Director General, Bureau of Civil Aviation Security - Chairman (ii) Under Secretary in the Ministry of Civil Aviation- Member (iii) Deputy Director, Bureau of Civil Aviation Security or equivalent rank- Member (iv) Deputy Director (Administration) Bureau	Not applicable.

		eligible for consideration for appointment to Grade-I subject to passing trade test and being found fit by Departmental Promotion Committee. **Deputation:** Officials holding analogous post on regular basis in the parent cadre Or; Head Constable in level in the pay matrix with 0 years regular service fror Central Armed Polic Force/State GovernmentPolice/Union Territory Police havin fifteen years regula servicewith theexperience/qualificatio mentioned below:- (i) Must have a valid driving license for heavy/light motor vehicle with at least 10 years of driving a motor vehicle. (ii) Must be able to read English Numerals and figures. (iii) Must have a thorough knowledge of Traffic Regulations. (iv) Must have a good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects. (v) Must be able to clear car carburetor and plug. (vi) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held	of Civil Aviation Security – Member.	

		immediately preceding this appointment in the same or some other organization /department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation basis shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the application.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(2) Staff Car Driver (Grade-II), Group 'C' post.	9* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 in the pay matrix.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	(i) 10% by promotion, failing which by deputation. (ii) 90% by deputation.	**Promotion:** Staff Car Driver (Ordinary Grade) having 9 years regular service and having passed the Trade Test Scheme. **Note:** Staff Car Drivers serving in the Bureau of Civil Aviation Security and having nine years regular service on the date of commencement of these rules shall be eligible for consideration for appointment to Grade-II subject to passing trade test and being found fit by Departmental Promotion Committee. **Deputation:** Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department or; Head Constable in level 4 in the pay matrix with 05 years regular service from Central Armed Police Force or State Government Police or Union Territory Police having fifteen years regular service with the experience/qualification mentioned below:- 1. Must have a valid driving license for heavy/light motor vehicle with at least 10 years of driving a motor vehicle.	Group 'C' Department promotion Committee (for considering promotion):- (i) Deputy Director General - Chairman (ii) Under Secretary in the Ministry of Civil Aviation-Member (iii) Deputy Director, BCAS, or equivalent rank- Member (iii) Deputy Director (Administration) Bureau of Civil Aviation Security – Member	Not applicable.

		2. Must be able to read English Numerals and figures. 3. Must have a thorough knowledge of Traffic regulations. 4. Must have a good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects. 5. Must be able to clear car carburetor and plug. 6. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation basis shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the application.		

[F. No. AV-13029/001/2009-AS]

USHA PADHEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.